न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 02/2020 तारीखरजू:–23-1-20

उनवान:– कमला बनाम बिजेन्द्र वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
23-1-20	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि दिनांक 27.02.2020 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 204/0.44, 215/0.18 है0 ग्राम राजौर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे प्रार्थी के रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.02.2020 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	389-98 23-1-2020
27.2.20	प्रार्थी वकील उप0। अप्रार्थी नं. 1 से 9 की ओर से श्री सुरेश चँद शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। शामिल किया। अप्रार्थी नं. 10 बावजूद सूचना उप0 नहीं। P.O. साहब अवकाश पर हैं आईन्दा दिनांक 26.3.20 को पेश हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला–करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
17.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं। बार बार आवाज दिलाई गयी। कोई उपस्थित नहीं हुआ। दरहालत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो॥ [signature]